

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 4000/2026**

अजीत कुमार आवेदक(ओं)

बनाम

सचिव गृह, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य,

.....विपक्षीगण(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : मनोज कुमार यादव, राहुल यादव
विपक्षीगण(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11**माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल के. त्रिपाठी, जिनकी सहायता श्री राहुल यादव ने की, और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. यह जमानत आवेदन, आवेदक ने मुकदमा अपराध संख्या 36/2026, अंतर्गत धारा 109(1), 127(2), 118(1), 352, 190, 191(2), 191(3) और 3(5) भारतीय न्याय संहिता, थाना गोसाईगंज, जिला लखनऊ में उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, आवेदक ने घायल व्यक्ति की गर्दन, चेहरे, आंखों और मुंह पर चाकू से कई वार किए थे, लेकिन घायल व्यक्ति का बयान चिकित्सा आख्या से मेल नहीं खाता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक, जो 28.01.2026 से जेल में है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि आवेदक विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है, अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाय।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया और तर्क दिया कि चोट पहुंचाने का दोष आवेदक पर है। हालांकि, उन्होंने इस तथ्य से इनकार नहीं किया कि घायल व्यक्ति का बयान चिकित्सा-कानूनी आख्या से मेल नहीं खाता और चाकू भी बरामद नहीं हुआ है।

5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के दलीलों और जमानत याचिका के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक सामग्री पर विचार करने से यह स्पष्ट है कि घायल व्यक्ति का बयान चिकित्सा-कानूनी आख्या से मेल नहीं खाता और कथित चाकू भी बरामद नहीं हुआ है। अतः यह जमानत के लिए उपयुक्त मामला है।

6. जमानत आवेदन **स्वीकार** की जाती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक **अजीत कुमार** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदक किसी भी ऐसे अपराध में भाग नहीं लेगा या उसे अंजाम नहीं देगा जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से हिचक जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, विचारणीय न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(iv) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारणीय न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि आवेदक बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है, तो विचारणीय न्यायालय

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उसके विरुद्ध धारा 229-ए भारतीय दण्ड संहिता/269 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही कर सकती है।

(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता/84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारणीय न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार धारा 174-ए भारतीय दण्ड संहिता/209 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही शुरू करेगी।

(vi) आवेदक को विचारणीय न्यायालय के समक्ष (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता/351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहना होगा। यदि विचारणीय न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विचारणीय न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकती है।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर जमानत रद्द की जा सकती है।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

12 जून, 2026

अर्पण

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।